

सैन्य सेवा के दौरान शहीद/मृत हुए राज्य निवासी सैनिकों के निकटतम आश्रितों को तथा सेवा के दौरान अपंगता के कारण विरमित किये गये सैनिकों को एकीकृत निधि से क्रमशः ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र तथा ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र।

(कृपया घटना के छः मास के अन्दर जमा करें)

भाग - "क"

(शहीद/मृत/दिव्यांग का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. न० रैंक नाम अलंकरण
2. अभिलेख कार्यालय/रेजिमेंट/कोर
3. ऑपरेशन का नाम
4. शहीद/मृत/दिव्यांग (मृत्यु/शहीद/दिव्यांगता का अधिकृत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. दिव्यांगता का प्रतिशत
6. घटना की तिथि
7. दिव्यांगता के कारण सेवा मुक्ति की तिथि
8. निकटतम आश्रित का नाम एवं पता :-
आश्रित का नाम संबंध (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
ग्राम पोस्ट थाना
जिला राज्य पिन
मोबाईल सं०

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- | | |
|--|--|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति | 2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति/पार्ट II आर्डर की छायाप्रति |
| 7. पेन कार्ड की छायाप्रति | |

खण्ड - "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

9. आवेदक/आवेदिका का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक : (कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

10. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹/- (रूपये.....मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची

12. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक : निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची